तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/11471/2002/अलवर रामस्वरूप बनाम मगतू सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री हेमन्त सोगानी, अधिवक्ता, प्रार्थी
श्री अयूब खां, अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या–1

निर्णय

दिनांक 28.03.2019

प्रार्थी ने यह निगरानी राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 84 के अन्तर्गत सम्भागीय आयुक्त, जयपुर पारित निर्णय दिनांक 30–09–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर के समक्ष प्रार्थी रामस्वरूप ने दो अलग अलग प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जिसमें दिनांक 25–7–1994 का प्रार्थनापत्र पर्चा डिक्री कराने हेतु एवं दिनांक 30–7–1994 का प्रार्थनापत्र विरासत का नामान्तरकण खोलने बाबत् प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थनापत्र पर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने दिनांक 30–7–1994 को निर्णय पारित करते हुए आदेश दिये कि साबिक खसरा नम्बर 1111, 1118 हाल खसरा नम्बर 634 रकबा 0.45, 635 रकबा 0.08 तथा खसरा नम्ब्र 637 रकबा 0.05, 647 रकबा 0.81 पर मुताबिक पर्चा डिक्री दिनांक 23–5–1969 के अनुसार छाजूसिंह पुत्र कल्याण सिंह सा. खारेडा दर्ज की जानी चाहिए परन्तु छाजूसिंह की मृत्यु दिनांक 27–11–1992 को हो चुकी है, इसलिए उसके वारिसान रामस्वरूप सिंह पुत्र नादानसिंह के नाम नामान्तरकरण भर कर पेश किया जावे। इस आदेश की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 157 दर्ज कर दिनांक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/11471/2002/अलवर रामस्वरूप बनाम मगतू सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

30–7–1994 को ही स्वीकृत किया गया। इस आदेश के विरूद्ध मगतूराम ने जिला कलक्टर, अलवर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–10–1996 से स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार, अलवर को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। इस निर्णय के विरूद्ध अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत हुई, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 28–7–1999 से स्वीकार कर जिला कलक्टर अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–10–1996 को निरस्त कर प्रकरण जिला कलक्टर, अलवर को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। प्रतिप्रेषित निर्णय की अनुपालना में जिला कलक्टर द्वारा अपील को पुनः दर्ज रजिस्टर कर बाद सुनवाई निर्णय दिनांक 10–12–2001 से खारिज कर दी। इस निर्णय के विरूद्ध अप्रार्थी ने अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30–9–2002 से स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय क्रमशः दिनांक 10–12–2001 एवं 30–7–1994 को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार, अलवर को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया। इसी निर्णय से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं अभिलेख के प्रतिकूल होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–7–1994 उप जिलाधीश, अलवर द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–5–1969 के

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/11471/2002/अलवर रामस्वरूप बनाम मगतू सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	अनुसरण में पारित किया गया था, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं थी। उनका कथन है कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश की क्रियान्विति में विधिवत् नामान्तरकरण संख्या 157 प्रार्थी के नाम तस्दीक किया गया तथा उक्त नामान्तरकरण संख्या 157 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अतिरिक्त जिला कलक्टर, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–8–1996 से निरस्त कर दी। इस प्रकार उक्त आदेश अतिरिक्त जिला कलक्टर, अलवर के आदेश दिनांक 30–8–1996 में समायोजित हो गया। उक्त आदेश का अस्तित्व ही अतिरिक्त जिला कलक्टर, अलवर के आदेश में समायोजित हो जाने के बावजूद भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने उक्त आदेश को निरस्त करने में तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता कारित की है। उनका कथन है कि छाजूसिंह ने दिनांक 29–11–1988 को एक वसीयतनामा प्रार्थी के नाम तहरीर कर यह घोषित किया कि उसकी मृत्यु के पश्चात् उसका एकमात्र उत्तराधिकारी प्रार्थी रामस्वरूप होगा। अप्रार्थी ने उक्त वसीयतनामें को कभी चुनौती नहीं दी। वसीयतनामें पर किसी प्रकार की कोई आपत्ति न होने के बावजूद भी अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने बिना किसी आधार के उक्त वसीयतनामें को सन्देहयुक्त होना मानते हुए निगराधीन निर्णय पारित किया है, जो विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण है। उनका कथन है कि प्रार्थी विवादित आराजी पर निरन्तर काबिज काश्त चला आ रहा है। उनका कथन है कि जिला कलक्टर द्वारा इन्हीं तथ्यों एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को विधिसम्मत् निर्णय से खारिज किया, जिसे अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा निरस्त कर प्रकरण पुनः तहसीलदार को प्रतिप्रेषित करने में विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि कारित की है। अतः प्रार्थी द्वारा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/11471/2002/अलवर रामस्वरूप बनाम मगतू सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय को निरस्त किया जाकर अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10–12–2001 एवं सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 30–7–1994 को बहाल रखा जावे। योग्य अधिवक्ता अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने प्रकरण में निहित विधिक एवं तथ्यात्मक स्थिति की अनदेखी करते हुए अत्यधिक जल्दबाजी में आदेश पारित करते हुए वर्षो से विवादित आराजी के राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार को सुने बिना विवादित आराजी रामस्वरूप प्रार्थी के नाम दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये। उनका कथन है कि किसी भी डिक्री की इजराय के लिए अधिकतम् सीमा 12 वर्ष की अवधि होती है। प्रस्तुत प्रकरण में डिक्री दिनांक 23–5–1969 की है जिसके अलम दरामद हेतु प्रथम प्रार्थनापत्र दिनांक 25–7–1994 को व द्वितीय प्रार्थनापत्र दिनांक 30–7–1994 को प्रस्तुत किया है, जो कथित डिक्री के 25 वर्ष बाद प्रस्तुत होने से मियाद बाहर है। उनका कथन है कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुसरण में स्वीकृत नामान्तरकण संख्या 157 के विरूद्ध मंगनीबाई की ओर से प्रस्तुत की गयी थी, जिसमें अप्रार्थी पक्षकार नहीं होने से उक्त निर्णय से अप्रार्थी बाध्य नहीं है तथा अतिरिक्त जिला कलक्टर द्वारा अपील को खारिज किये जाने के निर्णय दिनांक 30–8–1996 के आधार पर अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील को प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण था। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण पुनः तहसीलदार को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/11471/2002/अलवर रामस्वरूप बनाम मगतू सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां, पारित निर्णय का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी, अलवर के समक्ष प्रार्थी रामस्वरूप ने दो अलग अलग प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किये जिसमें दिनांक 25–7–1994 का प्रार्थनापत्र पर्चा डिक्री कराने हेतु एवं दिनांक 30–7–1994 का प्रार्थनापत्र विरासत का नामान्तरकण खोलने बाबत् प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थनापत्र पर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने दिनांक 30–7–1994 को निर्णय पारित करते हुए आदेश दिये कि विवादित आराजी मुताबिक पर्चा डिक्री दिनांक 23–5–1969 के अनुसार छाजूसिंह पुत्र कल्याण सिंह सा. खारेडा दर्ज की जानी चाहिए परन्तु छाजूसिंह की मृत्यु दिनांक 27–11–1992 को हो चुकी है, इसलिए उसके वारिसान रामस्वरूप सिंह पुत्र नादानसिंह के नाम नामान्तरकरण भर कर पेश किया जावे। इस आदेश की अनुपालना में नामान्तरकरण संख्या 157 दर्ज कर दिनांक 30–7–1994 को ही स्वीकृत किया गया। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में निर्णय एवं डिक्री दिनांक 23–5–1969 के आधार पर सहायक भू–प्रबन्ध अधिकारी ने दिनांक 30–7–1994 को आदेश पारित करते हुए विवादित आराजी का नामान्तरकरण प्रार्थी के नाम दर्ज करने के आदेश पारित किये गये, जिसमें वर्षो से राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार को सुनवाई का मौका भी प्रदान नहीं किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि तथाकथित डिक्री दिनांक 23–5–1969 छाजूसिंह के पक्ष	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज निगरानी/एलआर/11471/2002/अलवर रामस्वरूप बनाम मगतू सिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

में निष्पादित की गयी थी, प्रार्थी मृतक छाजूसिंह के वसीयतनामें के आधार पर विवादित आराजी का नामान्तरकरण अपने पक्ष में स्वीकृत कराना चाहता है तथा वसीयतनामा भी अपंजीकृत है तथा अप्रार्थी मंगतूसिंह छाजूसिंह का जायन्दा पुत्र है। प्रावधित प्रावधानों के अनुसार डिक्री की इजराय की अधिकतम् अवधि 12 वर्ष है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण में निहित उक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति के मद्देनजर प्रकरण पुनः तहसीलदार को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय में निगरानी के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायेाचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निगराधीन निर्णय की पुष्टि की जाती है।

निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भिजवाया जावे।

पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य